वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ.4(6)एफ.डी./टैक्स/2016–226 दिनांक 08.03.2016 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 6) के अधीन भागीदारी फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी या असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन संबंधी 31.03.2009 को या उसके पश्चात् निष्पादित लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और 0.5 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा किन्तु पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[एफ.4(3)वित्त/कर/2017–109]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(6)FD/Tax/2016-226 dated 08.03.2016, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument executed on or after 31.03.2009 relating to conversion of partnership firm, private limited company or unlisted public limited company into limited liability partnership under the Limited Liability Partnership Act, 2008 (Central Act No. 6 of 2009) shall be reduced and charged at the rate of 0.5 percent, but stamp duty already paid shall not be refunded.

[No.F.4(3)FD/Tax/2017-109]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government